क्रम संख्या–56

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 26 फरवरी, 2014 ई0

फाल्गुन 07, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 93/XXXVI(3)/2014/24(1)/2014

देहरादून, 26 फरवरी, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014"** पर दिनांक 26 फरवरी, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 08 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–08 सन् 2014)

उत्तराखण्ड राज्य की आकस्मिकता निधि की जमा धनराशि मे वृद्धि की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

चूंकि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 267 के खण्ड (2) द्वारा राज्यों के विधान मण्डल को अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी शक्ति दी गई है कि वह अपने–अपने राज्य के लिये विधि द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि की व्यवस्था कर सकें;

और चूंकि, उत्तराखण्ड राज्य की आकस्मिकता निधि में जमा धनराशि में वृद्धि की व्यवस्था करना समीचीन हो गया है;

अतः भारत गणराज्य के पैंसठवां वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम अधिनियमित किया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 4 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 2001) की धारा 4 में शब्द "दो सौ" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

के0 डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।